रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-812/2018/926/22-2-2018-17(165)/2018
लखनऊ: दिनांक: 23 अक्टूबर, 2018

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए **केन्द्रीय कारागार, वाराणसी** के सिद्धदोष **बन्दी मुरली (बन्दी संख्या-44110) पुत्र श्री रामप्रसाद, जो-ग्राम-अलीनगर खुर्द, थाना-बन्थरा, जनपद-लखनऊ** का रहने वाला है, जिन्हें **सत्र परीक्षण संख्या-345/1982** के अन्तर्गत भारतीय दण्ड विधान की **धारा-148, 324/149, 302/149** के अधीन **दिनांक 30.05.1983** को **मा0 पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखनऊ** द्वारा **आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित** किया गया तथा बन्दी द्वारा दिनांक 08.03.2018 तक 20 वर्ष 09 माह 15 दिन की अपरिहार तथा 27 वर्ष 05 माह 20 दिन की काटी गयी सपरिहार सजा एवं वृद्धावस्था के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं] तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी द्वारा अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए **जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ** के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

अमर सेन सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-812/2018/926(1)/22-2-2018 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ।
3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in